Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
October to December 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LII (52), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का उपयोग और उसका मतदाता पर प्रभाव

तोषित सनाढ्य* डॉ. सी. एल. भगोरा**

***शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, मा. लास. वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत**
**** सहायक आचार्य, जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड- टू-बी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज.) भारत**

शोध सारांश – भारत में निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का समावेश चुनावों की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुगमता को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), वीवीपैट, डिजिटल मतदाता पंजीकरण जैसी तकनीकों ने मतदान की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की है। हालांकि, तकनीकी आपत्तियाँ और मतदाता शिक्षा की कमी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इस लेख में भारत की निर्वाचन प्रक्रिया, आधुनिक तकनीकों का उपयोग, उनके मतदाता पर प्रभाव, समस्याएं एवं सुझावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – निर्वाचन, आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट, मतदाता, मतदान, डिजिटल पंजीकरण, ई-निर्वाचन, पारदर्शिता, सुरक्षा, मतदान व्यवहार, तकनीकी चुनौतियाँ, मतदाता जागरूकता, चुनाव आयोग, लोकतंत्र, इलेक्ट्रॉनिक मतदान, डाटा सुरक्षा, मतदान केंद्र, चुनावी प्रक्रिया, तकनीकी सुधार।

प्रस्तावना – भारत एक विशाल लोकतंत्र है जहाँ लोकतंत्र की रीढ़ निर्वाचन प्रक्रिया है। समय के साथ निर्वाचन प्रक्रिया में तकनीकी सुधार ने चुनावों को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुगम बनाया है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से मतदाता का अनुभव बेहतर हुआ है और चुनावी प्रणाली में पूर्णता आई है। निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का उपयोग भारत के लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2025 के संदर्भ में देखा जाए तो निर्वाचन आयोग ने तकनीकी सुधारों के कई नए कदम उठाए हैं, जिनका मतदाताओं और चुनाव प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट का उपयोग पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है, जो अब और अधिक प्रगतिशील और भरोसेमंद बनाया गया है। हाल ही में मतगणना प्रक्रिया में VVPAT पर्चियों के मिलान के लिए नए वैज्ञानिक मानदंड बनाए गए हैं, जिससे मतगणना की पारदर्शिता और विश्वसनीयता में वृद्धि हुई है। इससे मतदाता चुनावी प्रक्रिया पर अधिक विश्वास महसूस करते हैं।

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के प्रबंधन में भी विशेष सुधार किए हैं। 2025 में कुछ राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया गया, जिससे डुप्लिकेट और निष्क्रिय नाम हटाकर सूची को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाया गया है। डिजिटल मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के व्यापक उपयोग ने मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया है। इसके अलावा, मोबाइल आधारित मतदाता पंजीकरण इकाइयाँ और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन जैसे डिजिटल उपकरणों ने मतदाता सुविधा बढ़ाई है।

बूथ स्तर पर सुधार के तहत मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने, मतदाता संख्या को नियंत्रित करने और मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग करने जैसे कदम उठाए गए हैं, जिससे मतदान के दौरान पारदर्शिता बनी रहती है और मतदाता सुविधा बढ़ती है। मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारने एवं बीएलओ की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

हालांकि इस तकनीकी प्रगति के बावजूद चुनौतियाँ भी हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और मतदाता जागरूकता में कमी चुनावी भागीदारी पर असर डालती है। साइबर सुरक्षा के खतरे, तकनीकी गड़बड़ियां और तकनीक पर अविश्वास जैसी समस्याएँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक जानकारियाँ मतदाताओं को भ्रमित कर सकती हैं।

इन सब परिस्थितियों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुँच का विस्तार, और चुनावी तकनीक की निगरानी को और मजबूत करना आवश्यक है। साथ ही चुनावी खर्च पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों की पारदर्शिता और चुनावी नियमों के कड़ाई से पालन से लोकतंत्र और सशक्त होगा।

इस प्रकार, 2025 में भारत में आधुनिक तकनीकों का समावेश मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे मतदाता अधिक आत्मनिर्भर और जागरूक बन रहे हैं। सही दिशा में निरंतर प्रयास और नवाचार भारत के लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी शुचिता के लिए आवश्यक हैं।

भारत में निर्वाचन प्रक्रिया – भारत में निर्वाचन प्रक्रिया स्वतंत्र और स्वायत्ता निर्वाचन आयोग द्वारा नियंत्रित होती है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव संचालित करता है। मतदाता की पंजीकरण, मतपत्र वितरण, मतदान और मतगणना के सभी चरण संविधान और विधि के अनुसार किए जाते हैं। भारत में निर्वाचन प्रक्रिया की संपूर्ण देखरेख एक

स्वतंत्र और स्वायत्ता संस्था, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। यह आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है और इसे लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों के चुनाव संचालित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है कि वह चुनावों को पूरी निष्पक्षता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराए, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत बनी रहे। निर्वाचन आयोग मतदाता पंजीकरण से लेकर मतपत्र वितरण, मतदान, मतगणना, परिणाम घोषित करने तक चुनाव प्रक्रिया के समस्त चरणों को नियंत्रित करता है। आयोग की देखरेख में चुनावी वातावरण तैयार किया जाता है, जिसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है। आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता जारी की जाती है, जो चुनाव प्रचार को सुचारू और नैतिक बनाती है। इसके अलावा, आयोग मतदान केंद्रों की व्यवस्था, मतदान कर्मचारियों के प्रशिक्षण और चुनाव अधिनियमों के कड़ाई से पालन की निगरानी करता है।

निर्वाचन आयोग को संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त है, जिसके अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयोग सदस्यों की नियुक्ति न्यायपालिका के समकक्ष कठोर नियमों के तहत होती है। इन्हें बिना उचित प्रक्रिया के हटाया नहीं जा सकता, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहती है। साथ ही आयोग को चुनाव चिह्न आवंटित करने, राजनीतिक दलों के पंजीकरण और चुनावी विवादों के निपटान का भी अधिकार प्राप्त है।

निर्वाचन आयोग चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियमानुकूल और बाधारहित बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग कर रहा है। इसके माध्यम से मतदान को सुगम और पारदर्शी बनाया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM), वीवीपैट और ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली आदि। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय हो। इस तरह, भारत निर्वाचन आयोग एक ऐसा संवैधानिक स्तंभ है जो देश के लोकतंत्र को सशक्त, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से मजबूती प्रदान करता है। इसके समुचित संचालन से ही भारत के विशाल गणराज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था धूमिल हुए बिना सुचारू रूप से कार्य करती है।

भारत में चुनावों में आधुनिक तकनीक – भारत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) एवं वीवीपैट प्रणाली को अपनाकर पारंपरिक मतपत्रों की जगह आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल मतदाता पंजीकरण, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र जैसी तकनीकों द्वारा चुनावों की विश्वसनीयता बढ़ाई गई है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली को अपनाकर चुनाव प्रक्रिया में जबरदस्त तकनीकी सुधार हुए हैं। 2025 तक, भारत की चुनाव प्रणाली ने पारंपरिक कागजी मतपत्रों को पूरी तरह से छोड़कर इस आधुनिक यंत्रों पर भरोसा जताया है, जिससे चुनावों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।

EVM का उपयोग पहली बार 1982 में केरल में हुआ था, लेकिन 2004 के बाद यह पूरी तरह से भारत के सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में लागू हो गया। VVPAT प्रणाली को 2014 के लोकसभा चुनावों में पायलट परियोजना के रूप में लागू किया गया था, और अब यह लगभग सभी चुनावों में अनिवार्य हो चुका है। टच्ज मतदाता को यह पुष्टि करने में सक्षम बनाता है कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है, क्योंकि मतदान के बाद एक पर्ची प्रदर्शित होती है जो बाद में सुरक्षित बॉक्स में जमा हो जाती है।

हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग ने EVM और VVPAT मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए नई तकनीकें विकसित की हैं। 2023 में आयोग ने लगभग आठ लाख नई मशीनों का आदेश दिया, जिनमें बेहतर सॉफ्टवेयर और अधिक उन्नत हार्डवेयर शामिल हैं। यह कदम मशीनों की विश्वसनीयता और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। चुनाव आयोग मशीनों की नियमित जांच और यादृच्छिक आवंटन करता है जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना को कम किया जा सके।

डिजिटल मतदाता पंजीकरण प्रणाली, मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्ति, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन, और ई-मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जैसी तकनीकें भी चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में सहायक हैं। EPIC और आधार कार्ड के लिंकिंग से मतदाता सूची में सुधार हुआ है, जिससे डुप्लीकेट नामों और त्रुटियों की संख्या घटाई जा रही है।

हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच की कमी, तकनीकी प्रणाली से अविश्वास, तथा साइबर सुरक्षा की चिंता। लेकिन आयोग द्वारा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों और तकनीकी सुधारे जा रहे हैं ताकि जनता का विश्वास मजबूत हो। इस प्रकार, EVM और VVPAT सहित आधुनिक तकनीकों का समावेश भारत के चुनावी तंत्र को अधिक सुरक्षित, त्वरित एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदम रहा है, जो देश के लोकतंत्र की मजबूती को सुनिश्चित करता है।

समस्याएँ और चुनौतियाँ – तकनीकी प्रणाली में साइबर सुरक्षा, तकनीकी खराबी, मतदाता जागरूकता की कमी, और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के प्रति अविश्वास प्रमुख चुनौतियाँ हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों का सीमित उपयोग भी समस्या बनता है। ये चुनौतियाँ चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगाती हैं। भारत में निर्वाचन प्रणाली में आधुनिक तकनीकों के समावेश के साथ कई तकनीकी और सामाजिक चुनौतियां भी उभरकर सामने आई हैं, जिनका प्रभाव लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर पड़ा है। इन चुनौतियों में मुख्य रूप से साइबर सुरक्षा, तकनीकी खराबी, मतदाता जागरूकता की कमी और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के प्रति आम जनता का अविश्वास शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में डिजिटल उपकरणों की सीमित पहुँच भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के समक्ष बड़ी बाधा बनी हुई है।

साइबर सुरक्षा का खतरा भारत के चुनावी तंत्र के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ चुनावों को हैक या गड़बड़ी की आशंका ने मतदाताओं में डर और शंका उत्पन्न कर दी है। 2024 के कुछ विधानसभा चुनावों में जहां तकनीकी खराबियों की शिकायत मिली, जैसे पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के कुछ मतदान केंद्रों पर EVM मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रहीं थीं, वहीं ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रणाली में भी कई बार तकनीकी गड़बड़ी के कारण मतदाता ऑनलाइन सेवाओं से वंचित रहे। इससे मतदाताओं को परेशानी हुई और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कम हुआ।

मतदाता जागरूकता की कमी एक और बड़ी चुनौती है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लोगों को आधुनिक प्रौद्योगिकी की पूरी जानकारी नहीं है।

जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मतदाता हैं जो EVM या VVPAT मशीनों का उपयोग समझ नहीं पाते। इस समस्या के कारण कई वार मतदान प्रतिशत कम देखा गया है, क्योंकि मतदाता तकनीकी जटिलताओं को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं या चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं मानते। इसके अतिरिक्त, कुछ मतदाता तकनीकी यंत्रों को राजनीतिक दलों की मंशा से जुड़े हुए समझते हैं, जिससे उनके विश्वास में कमी आती है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों की सीमित पहुँच समस्या को और बढ़ाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और स्मार्टफोन की उपलब्धता न होने से ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, शिकायत प्रबंधन, तथा अन्य डिजिटलीकरण संबंधी सुविधाओं का लाभ वहाँ के लोग पूरी तरह नहीं उठा पाते। 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई मतदान केंद्रों पर यह समस्या सामने आई जहां तकनीकी उपकरणों का अभाव था, जिससे मतदान केंद्रों पर भटकाव और धैर्य की कमी नजर आई।

इन चुनौतियों के बीच कई कहानियाँ भी सामने आई हैं, जो लोकतंत्र में मतदाता अनुभव की जटिलता को उजागर करती हैं। एक उदाहरण में, झारखंड के एक गाँव में एक बुजुर्ग मतदाता ने बताया कि उसने पहली बार EVM मशीन पर मतदान किया, लेकिन उसे मशीन के ऑपरेशन का कोई ज्ञान नहीं था, जिससे वह काफी भ्रमित था। वहीं, दक्षिण भारत के एक शहरी क्षेत्र में एक युवा मतदाता ने तकनीकी कारणों से ऑनलाइन पंजीकरण में असमर्थता होने के कारण मतदान का अवसर गंवाया, जिससे उसकी राजनीतिक भागीदारी प्रभावित हुई। कुल मिलाकर, ये तकनीकी और सामाजिक बाधाएं भारत जैसे विशाल और विविध लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाती हैं। लोकतंत्र की मजबूती हेतु यह आवश्यक है कि तकनीकी प्रणाली को बेहतर बनाने के साथ-साथ मतदाता शिक्षा और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पहुँच को भी व्यापक बनाया जाए। साथ ही, तकनीकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मशीनों के संचालन में सावधानी बरतनी होगी ताकि मतदाताओं का विश्वास बहाल रहे और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनी रहें। इस तरह से आधुनिक तकनीक चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और त्वरित बनाने के साथ-साथ चुनींदा चुनौतियों और समस्याओं का सामना करते हुए निरंतर विकास की ओर अग्रसर है।

आधुनिक तकनीक और मतदाता पर प्रभाव – आधुनिक तकनीक से मतदान प्रक्रिया सरल और तेज हुई है, जिससे मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। मतदाता त्वरित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और गलतफहमियों में कमी आई है। हालांकि, तकनीक की समझ का अभाव कुछ क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता भी बढ़ाता है। आधुनिक तकनीकों के निर्वाचन प्रणाली में समावेश ने भारत के लोकतंत्र को नई दिशा दी है और मतदाता के चुनावी अनुभव को सरल, तेज और अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (EVM), वीवीपैट (Voter Verifiable Paper Audit Trail), डिजिटल मतदाता पंजीकरण, मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन जैसी तकनीकें मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं। इन तकनीकों ने मतदाता सहभागिता को बढ़ावा दिया है और चुनावों की विश्वसनीयता को मजबूत किया है।

सबसे पहली बात यह है कि एEVM और VVPAT ने कागजी मतपत्रों की तुलना में कई गुना जटिल और लंबी प्रक्रिया को त्वरित कर दिया। इससे न केवल मतदान तेज हुआ, बल्कि मतदाताओं को लंबे समय तक कतार में खड़ा रहने की आवश्यकता भी कम हुई। उदाहरण के तौर पर, 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां लगभग 67% मतदान हुआ, वहीं इस प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों को अहम कारण माना गया। वीवीपैट प्रौद्योगिकी के कारण मतदाता अपने वोट का प्रमाणीकरण स्वयं कर सकते हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है और मतदाताओं का विश्वास मजबूत हुआ है। डिजिटल मतदाता पंजीकरण प्रणाली ने लोगों को घर बैठे ही अपनी जानकारी अपडेट करने, नामांकन करने या मतदाता सूची की जांच करने की सुविधा प्रदान की है। मोबाइल ऐप्स द्वारा मतदाता अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन के जरिये किसी भी समस्या का त्वरित निवारण संभव है। उदाहरण के लिए, 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान कई राज्यों में मतदाताओं ने ऑनलाइन इसकी सुविधा का लाभ उठाया, जिससे चुनाव में सहभागिता की संख्या बढ़ी। इसके अलावा, आधुनिक तकनीक ने चुनावी प्रचार में भी विस्तार किया है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से उम्मीदवार और राजनीतिक दल अधिक दृश्यता प्राप्त कर पाते हैं, जिससे मतदाताओं को बेहतर जानकारी मिलती है। इससे विशेषकर युवा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ी है और चुनावी उत्साह को प्रोत्साहन मिला है।

हालांकि, तकनीक के उपयोग में चुनौतियां भी मौजूद हैं। कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मतदाताओं के पास तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वे इन प्रौद्योगिकियों का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते। कुछ मतदाता मशीनों और डिजिटल प्रणालियों को समझने में असमर्थ होते हैं या उनमें विश्वास की कमी होती है। जैसे, 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, कई मतदाताओं ने EVM के संचालन को लेकर भ्रम की स्थिति व्यक्त की, इससे कुछ मतदान केंद्रों पर मतदाता उदासीनता देखने को मिली। इसी तरह, असम के कुछ ग्रामीण इलाकों से ऐसी रिपोर्ट आईं कि तकनीकी उपकरणों के प्रति भय और अविश्वास के कारण मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत कम रहा।

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तकनीकी यंत्रों पर निर्भरता बढ़ने से मतदाताओं के बीच चयनात्मक जानकारी और अफवाहों का फैलाव भी बढ़ा है, जो कभी-कभी मतदान में प्रभाव डालती है। इस स्थिति में मतदाता जागरूकता और सही जानकारी प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। सारांश में, आधुनिक तकनीकों ने मतदान प्रक्रिया को अधिक आरामदायक, तेज और पारदर्शी बनाया है, जिससे देश में मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। तकनीक के माध्यम से मतदाता को अधिक सक्षम बनाया गया है तथा गलतफहमियां कम हुई हैं। लेकिन तकनीक की समझ और जागरूकता की कमी कुछ क्षेत्रों में मतदाता उदासीनता का कारण बन रही है। इसलिए, आवश्यक है कि मतदाता शिक्षा और तकनीकी सहायता में वृद्धि की जाए ताकि लोकतंत्र की सुदृढ़ता बनी रहे और सभी नागरिक अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का प्रभावी रूप से निर्वहन कर सकें।

निष्कर्ष – निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का समावेश लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। हालांकि चुनौतियाँ हैं, लेकिन तकनीकी सुधार चुनावों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक हैं। अत: सतत सुधार और मतदाता शिक्षा आवश्यक है। निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों का समावेश भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। समय के साथ बदलते युग में तकनीकी सुधारों ने चुनावों को अधिक पारदर्शी, सक्रिय और प्रभावी बनाया है। देश के चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में कई डिजिटल और तकनीकी पद्धतियों को अंगीकार किया

है, जिससे मतदाता का अनुभव बेहतर हुआ है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है।

आज के भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) प्रणाली ने मतदान को तेज और सुरक्षित बनाया है। इन तकनीकों ने मतदाता को उनके वोट के सही पहुंचने का आश्वासन प्रदान किया है। इसके साथ ही, मतदाता सूची के अद्यतनीकरण के लिए डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन शिकायत निपटान, मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए मतदान केंद्रों व चुनावी जानकारी की उपलब्धता बढ़ाई गई है। इन आधुनिक साधनों ने चुनाव प्रक्रिया को सरल और कुशल बनाया है, जिससे मतदान प्रतिशत में सुधार हुआ है। उदाहरण के तौर पर, हालिया विधानसभा और लोकसभा चुनावों में यह देखा गया कि तकनीकी माध्यमों के कारण मतदाता अधिक सचेत और सक्रिय बने। हालांकि, तकनीकी सुधारों के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी, मतदाता जागरूकता की कमी और तकनीक के प्रति अविश्वास जैसी समस्याएं कुछ हिस्सों में मतदान की सहभागिता को सीमित करती हैं। चुनाव आयोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए मतदाता शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है और डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है, जिससे मतदाता तकनीक का अधिक प्रभावी और सही उपयोग कर सकें। साइबर सुरक्षा भी बढ़ती चिंता का विषय है। चुनावों में तकनीकी यंत्रों और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित बनी रहे। आयोग ने इस दिशा में कई प्रावधान और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग ने सुविधाजनक मतदान के लिए हजारों नए मतदान केंद्र स्थापित किए हैं और प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या को सीमित रखकर सुविधा और सुरक्षा दोनों प्रदान की है। डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से मतदाता को वास्तविक समय में मतदान प्रतिशत की जानकारी भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ा है।

अत:, आधुनिक तकनीक का समावेश चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए अनिवार्य है। चुनौतियों के बावजूद, तकनीकी उन्नति ने चुनाव को अधिक पारदर्शी, सुचारू और प्रभावी बनाया है। भविष्य में नियमित सुधार, मतदाता शिक्षा तथा तकनीकी सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक है, जिससे भारत का लोकतंत्र और अधिक मजबूत और समावेशी बन सके। इस दिशा में आयोग के निरंतर प्रयास लोकतंत्र की गुणवत्ता और जनभागीदारी दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे।

सुझाव – भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकों के समावेश ने लोकतंत्र को नई दिशा दी है, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियाँ भी सामने आई हैं जिन्हें समझदारी से संबोधित करना आवश्यक है। सर्वप्रथम, मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना आवश्यक है ताकि हर नागरिक अपनी मतदान प्रक्रिया और तकनीकी यंत्रों को समझ सके। इसके लिए नियमित और प्रभावी शिक्षा अभियान चलाना अनिवार्य है, जिसमें ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां तक तकनीकी सुधारों का सवाल है, मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण सुविधाओं का विस्तार कर, मोबाइल एप्लिकेशन आदि द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करना चाहिए, ताकि डिजिटल माध्यमों का सही लाभ हर स्तर पर पहुंच सके।

सभी मतदान केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जो मतदाताओं को EVM और VVPAT जैसे यंत्रों के प्रयोग में सहायता प्रदान करें। इससे मतदाता के मन में किसी भी प्रकार की तकनीक के प्रति भय और भ्रम खत्म होगा। इसके साथ ही, चुनाव आयोग को सख्त सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, खासकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, ताकि चुनावी प्रक्रिया में आने वाली तकनीकी खामियों और हैकिंग के मामलों को पूरी तरह रोका जा सके। चुनावी डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर स्तर पर प्राथमिकता होनी चाहिए जिससे मतदाता का विश्वास बना रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि तकनीक के प्रति अविश्वास और असमर्थता की वजह से वहां की जनता चुनावी प्रक्रिया से दूर होती जा रही है। इसलिए, सरकार और चुनाव आयोग को मिलकर इन इलाकों में डिजिटल शिक्षा एवं आधारभूत सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। साथ ही मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाकर और उन्हें अधिक सुलभ बनाकर मतदाता सुविधा को और बेहतर बनाना आवश्यक है। इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ कम होगी व मतदाता आसानी से अपने मतदान का अधिकार प्रयोग कर सकेंगे।

चुनाव प्रचार व सूचना के क्षेत्र में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सही उपयोग कर वोटरों तक सच और श्रेष्ठ जानकारी पहुँचाना आवश्यक है। यह मतदाता को दोषपूर्ण या गलत सूचना से बचाएगा, जो कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए जरूरी है। इसके लिए चुनाव आयोग को डिजिटल मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना होगा। इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की जवाबदेही सुनिश्चित करना भी अनिवार्य है, ताकि वे चुनावी नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करें और मतदाताओं के लिए सही संदेश पहुँचाएं।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी चुनावी सुधारों के लिए निरंतर समिति बनाकर नए सुझावों पर विचार करना और समय–समय पर प्रणाली में संशोधन करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और बिना त्रुटि के आयोजित करना चाहिए ताकि डुप्लीकेट मतदाता नाम और गलत सूचनाओं को दूर किया जा सके। इसके अलावा, रिमोट मतदान जैसे नवाचारों को भी परखा जाना चाहिए, जो प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं।

भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि तकनीकी सुधार और मतदाता शिक्षा दोनों समकालिक रूप से चलें। तकनीकी उन्नतियों के माध्यम से चुनाव अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं प्रभावी बनेंगे, जबकि व्यापक जागरूकता एवं शिक्षा ही मतदाताओं का उत्साह बढ़ा सकती है। जब तक मतदाता सम्पूर्ण रूप से सशक्त और जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी तकनीकी सुधार लोकतंत्र की गहरी जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए, सतत प्रयास, नवाचार, और सामूहिक भागीदारी के साथ ही चुनाव प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा ताकि प्रत्येक भारतीय नागरिक अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का सही और प्रभावी निर्वाह कर सके और भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा एवं प्रभावशाली लोकतंत्र बना रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया – डॉ. सी.एल. बाठड़या एवं पुखराज जैन
2. निर्वाचन सुधार: भारत के परिप्रेक्ष्य – भालचंद गोस्वामी
3. लोकतंत्र और तकनीकी नवाचार – श्रीमती कल्याणी वैश्या
4. Election Commission of India- Statistical Reports: General Elections, 2024

5. Drishti IAS– 'भारत में निर्वाचन और तकनीकी 2025'
6. Dhyeya IAS– 'एक राष्ट्र, एक निर्वाचन: संवैधानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण', 2025
7. International Journal of Creative Research Thoughts- Hkkjr esa ernku O;ogkj] 2023
8. India Code- Representation of the People Act, 1950 & 1951, 2023
9. PIB Press Releases on Election Technology] 2024
10. Kumar, Sanjay- भारत में मतदान व्यवहार, 2013
11. Drishti Judiciary– 'भारतीय संविधान के तहत निर्वाचन', 2025
12. Singh, S- Electoral Participation in India, 2017
13. Election Laws in India, Parliament Library, Lok Sabha Secretariat, 2019
14. International Journal of Political Science, 2017
15. Newsonair Reports on Election Challenges, 2025
16. AajTak Reports on Political Challenges India, 2025
17. News Reports on Voter Awareness, 2025
18. Election Commission Initiatives, Press Information Bureau, 2024
19. Study-com Articles on Voter Apathy, 2025
20. Unlock Democracy– मतदाता उदासीनता पर विचार, 2025

****